कलेक्ट्रेट, बरेली
डाक प्राप्ति ई०आर०के०
पत्रांक 30 36 /शासन
सी० एम०/राज्यपाल
दिनाँक 03.5.10

सं0 1218 /62-2-2010-2/5(18)/2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

1095 5/5/10

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-2लखनऊ दिनाँक 12 अप्रैल 2010

विषयः-रिट याचिका(सिविल) संख्या-36/2009 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 11.02.2010 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

देश-प्रदेश में बोरवेल/ट्यूबवेल एवं कुएं में बच्चों के गिरने की घटनाओं के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका (सिविल) संख्या-36/2009 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 11.02.2010 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) में देश के सभी प्रदेशों में बोरवेल/ट्यूबवेल अथवा अप्रयुक्त कुएँ में दुर्घटनावश बच्चों के गिरने की घटनाओं के रोकथाम के लिए अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपायों एवं दिशा-निर्देशों को कड़ाई से अपनाकर उन्हे लागू किये जाने के आदेश दिये गये है।

CDO
जिलाधिकारी
बरेली
3.5.10

2-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण हेतु कोई कदम उठाये जाने के कम से कम 15 दिन पूर्व सम्बन्धित भूमि/ सम्पति के मालिक को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को लिखित में सूचना देनी होगी। इस सूचना की प्रति खण्ड विकास अधिकारी को भी दी जायेगी। इस सम्बन्ध में शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/ अन्य नगरीय स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में उपक्षेत्रवार अधिकारी नामित करेगें। पंचायत सचिव तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में नामित अधिकारी उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचनाओं का विवरण एक रजिस्टर में तिथिवार अंकित करेगें तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियमित रूप से इसका निरीक्षण एवं समीक्षा भी की जायेगी।

AE MI
(चन्दन सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
बरेली
4/5

(ii) जनपद स्तर पर सभी छिद्रण एजेन्सियों यथा सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी को सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

...2

AK-1-253

पंजीकरण हेतु फार्म जिसमे ड्रिलिंग एजेन्सियों द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का विवरण दिया गया हो, पृथक से मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग द्वारा परिचालित किया जायेगा। पंजीकरण हेतु छिद्रण एजेन्सियाँ निर्धारित फार्म पर अपना प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को प्रस्तुत करेगें। प्रार्थना पत्र के साथ ड्रिलिंग एजेन्सी/ड्रिलर द्वारा रू0 2000.00 की जमानत धनराशि एफ0डी0/एन0एस0सी0 इत्यादि के रूप में जमा की जायेगी।

ड्रिलिंग एजेन्सियों/ड्रिलर के प्रार्थना पत्र सम्यक विचारोपरान्त सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई द्वारा ड्रिलिंग एजेन्सी/ड्रिलर को पंजीकृत करने अथवा नही करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त यथास्थिति सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, अन्यथा स्थिति में ड्रिलिंग एजेन्सी/ड्रिलर को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

(iii) बोरवेल/ ट्यूबवेल अथवा अप्रयुक्त कूप के सम्बन्ध में सम्बन्धित ड्रिलिंग एजेन्सी/ड्रिलर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें :–

(अ) निर्माण स्थल के पास सूचना पट्ट लगाया जायेगा जिसमें कुए के निर्माण /जीर्णोद्वार से सम्बन्धित छिद्रण एजेन्सी/ड्रिलर का पूर्ण पता तथा उपभोक्ता एजेन्सी /मालिक का पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।

(ब) बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के समय उसके चारो ओर कॉटेदार तार, चहारदीवारी या अन्य किसी अवरोध का निर्माण अवश्य कराया जाय।

(स) बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के उपरान्त वेल केसिंग के चारो ओर 0.5 ×0.5× 0.6 मीटर (0.30 मीटर जमीन से नीचे एवं 0.30 मीटर जमीन से ऊपर) आकार का सीमेन्ट /कंकरीट का चबूतरा निर्मित कराया जाय।

अप्रयुक्त कूपों में तदनुसार जगत एवं मुडेर बनाई जाय,जिससे इसमें बच्चों के गिरने की सम्भावना न रहें।

(द) वेल असेम्बली में स्टील प्लेट को वेल्डिंग कर इसे ढका जाये अथवा केसिंग पाइप में नट–बोल्ट से एक मजबूत ढक्कन लगाया जाय।

(य) पम्प रिपेयर के मामले में बोरवेल/ट्यूबवेल को खुला /(Uncovered) नहीं छोड़ा जाय।

(र) निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात सभी गडढे एवं नालियों को भर दिया जाय।

(व) निष्प्रयोज्य बोरवेल को मिट्‌टी,बालू, बोल्डर,कंकड़ आदि से सतह से जमीन स्तर तक ढक दिया जाय।

.....3

suitable barrier around the well during construction.

(v) Construction of cement/concrete platform measuring 0.50 x 0.50x 0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the well casing.

(vi) Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts.

(vii) In case of pump repair, the tube well should not be left uncovered.

(viii) Filling of mud pits and channels after completion of works.

(ix) Filling up abandoned borewells by clay/sand / boulders/pebbles/drill cuttings etc. from bottom to ground level.

(x) On completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.

(xi) District Collector should be empowered to verify that the above guidelines are being followed and proper monitoring check about the status of boreholes/tubewells are being taken care through the concerned

(xii) District/Block/Village wise status of bore wells/tubewells drilled viz. No. of wells in use, No. of abandoned bore wells/tube wells found open, No. of abandoned borewells/tubewells properly filled up to ground level and balance number of abandoned borewells/tubewells to be filled up to ground level is to be maintained at District Level.

In rural areas, the monitoring of the above is to be done through Village Sarpanch and the Executive from the Agriculture Department.

In case of urban areas, the monitoring of the above is to be done through Junior Engineer and the Executive from the concerned Department of Ground Water/Public Health/ Municipal Corporation etc.

(xiii) If a borewell/tubewell is 'Abandoned' at any stage, a certificate from the concerned department of Ground Water/Public health/Municipal Corporation/Private contractor etc. must be obtained by the aforesaid agencies that the 'Abandoned' borewell/tubewell is properly filled upto the

(ल) किसी स्थान विशेष पर ड्रिलिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भूमि की दशा छिद्रण कार्य पूर्व की स्थिति जैसी बनाई जाय।

यदि ड्रिलिंग एजेन्सी/ड्रिलर उक्तानुसार कार्यवाही नही करते है तो उनकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायगी और तीन बार पुनरावृत्ति करने पर उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित भूमि/सम्पत्ति के मालिक की भी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा जिलाधिकारी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराकर लागत की वसूली भू-राजस्व के रूप में वसूल करेंगें।

(iv) सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करायेगें कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और सम्बन्धित राजकीय संस्थाओं के माध्यम से बोरवले/ट्यूबवेल के स्टेटस की समुचित मानिटरिंग की जा रही है। इस हेतु सभी जिलाधिकारी जनपद स्तर पर सम्बन्धित संस्थाओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश अपने स्तर से निर्गत करेगें।

(v) ग्रामवार बोरवेल/ट्यूबवेल का स्तर यथा उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या,अप्रयुक्त खुले पाये गये बोरवेल/ट्यूबवेलों की संख्या, समुचित रूप से जमीन स्तर तक भरे गये अप्रयुक्त बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या और अवशेष अप्रयुक्त जमीन स्तर तक भरे जाने योग्य बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या का विवरण पंचायत सचिव द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी सभी ग्रामों की संकलित सूचना जिलाधिकारी को प्रत्येक माह उपलब्ध करायेगें तथा जिलाधिकारी सभी विकास खण्डों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करायेगें और नियमित रूप से समीक्षा करेंगें।

शहरी क्षेत्रों में उक्त सूचनाओं का संकलन कराने हेतु सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/ अन्य नगरीय स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होंगें तथा वे अपने अधीन क्षेत्रों मे नामित अभियन्ता के माध्यम से प्रत्येक माह सूचनाएं प्राप्त कर संकलित करायेगें और नियमित रूप से उक्तानुसार इसकी समीक्षा करेगें।

(vi) सम्बन्धित ड्रिलिंग एजेन्सी/ड्रिलर तथा भूमि /सम्पत्ति के मालिक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अवर अभियन्ता लघु सिंचाई तथा शहरी क्षेत्रों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अभियन्ता से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा कि अप्रयुक्त बोरवेल/ट्यूबवेल जमीन स्तर तक भर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद के सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर

....4

पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा अप्रयुक्त कुओं का औचक निरीक्षण भी किया जायेगा। इन सभी आकड़ों की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी।

(vii) उक्त सभी दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रिन्ट मीडिया एवं अन्य साधनों द्वारा कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

सं० 1218 (1)/62-2-2010तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।

3-समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।

4-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

5-समस्त सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।

6-समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नगर निगम/नगर पालिका,उत्तर प्रदेश।

7-समस्त खण्ड,विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (C) NO. 36 OF 2009

In Re: Measures for Prevention of Fatal Accidents of Small Children Due to Their Falling Into Abandoned Bore Wells and Tube Wells .... Petitioner

Versus

Union of India & Ors. .... Respondents

O R D E R

Heard the learned Amicus Curiae and the learned Addl. Solicitor General appearing for the Union of India.

It has been brought to the notice of this Court that in a number of cases children had been trapped and fallen into bore wells and tube wells or abandoned wells. These reports have been coming from various States. Accordingly, we took suo motu initiative and issued notice to the various States to take immediate measures to prevent such kind of incidents.

The Union of India has filed its counter affidavit giving certain guidelines to be followed by the States.

We have perused the affidavit and the guidelines suggested by the Union of India.

Having regard to the number of incidents that have taken place during the recent past and immediate need for

preventing such incidents in future, we direct that the following safety measures/guidelines are to be observed by all the States :-

(i) "The owner of the land/premises, before taking any steps for constructing bore well/ tube well must inform in writing at least 15 days in advance to the concerned authorities in the area, i.e., District Collector/ District Magistrate/Sarpanch of the Gram Panchayat/ concerned officers of the Department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation, as the case may be, about the construction of bore well/tube well.

(ii) Registration of all the drilling agencies, viz., Govt./Semi Govt./Private etc. should be mandatory with the district administration.

(iii) Erection of signboard at the time of construction near the well with the following details :-

(a) Complete address of the drilling agency at the time of construction/ rehabilitation of well.

(b) Complete address of the user agency/ owner of the well.

(iv) Erection of barbed wire fencing or any other

ground level. Random inspection of the abandoned wells is also to be done by the Executive of the concern agency/department. Information on all such data on the above are to be maintained in the District Collector/ Block Development Office of the State.

The guidelines abovementioned shall be given wide publicity through the national television channels. A copy of this order be sent to the Chief Secretaries of all the States/Union Territories who shall forward the same to the District Collectors of all Districts of their respective State.

For further directions post this matter after 12 weeks.

...........................CJI.

...........................J.
(Dr. B.S. CHAUHAN)

...........................J.
(C.K. PRASAD)

NEW DELHI;
FEBRUARY 11, 2010